सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 883 **23 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

S.O. No. 137- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification S.O. 108 State Tax, dated the 20th October, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of July, 2017 till the 31st day of December, 2017.

2. The extension of the time limit for furnishing the return under sub-section (4) of section 39 of the said Act for the month of August, 2017, September, 2017 and October, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 137 - दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 108- राज्य कर, तारीख 20 अक्तूबर, 2017 झारखण्ड के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 65 सपठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा(4) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय-सीमा को बढाकर 31 दिसम्बर, 2017 कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढे हुए समय-सीमा को अगस्त, 2017 सितम्बर,2017 और अक्तूबर,2017 के लिए राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचना किया जायेगा।

3. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।